राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2389/2025 महेन्द्र कुमार वर्मा,	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। 3. उप सचिव, कार्मिक (केए–3/इन्काईरी)निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।	01.04.2025	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता
2.	2403/2025 रामलाल मीणा,			
3.	2404/2025 प्रतिभा कटारिया,			
4.	2415/2025 महेन्द्र कुमार,			श्री राजीव कुमार सोगरवाल, अभिभाषक अपीलार्थी एवं श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में दिनांक 30.06.2025 को सुनवाई की गई और सुनवाई पीठ के माननीय सदस्य एक राय नहीं होने के आधार पर पत्रावली माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई।

उक्तानुसार पत्रावलियां प्राप्त होने पर दिनांक 06.08.2025 को उभय पक्ष के उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की प्रकरण पर सुनवाई की गई।

उक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में समान बिंदू निहित होने से एकल आदेश द्वारा निस्तारित की जा रही है।

प्रस्तुत समस्त अपीलें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में जारी निलंबन आदेश दिनांक 27.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं निलम्बन आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को सेवा में बहाल करने का अनुतोष चाहा गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्तागण का कथन है कि आलौच्य निलंबन आदेश दिनांक 27.03.2025 में विभागीय जांच प्रस्तावित होना बताया गया है जबकि निलंबन आदेश जारी किए जाने के समय अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि एक संयुक्त आदेश द्वारा 6 लोक सेवकों को निलंबित किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलार्थीगण वर्तमान में परियोजना खण्ड–I पाली में पदस्थापित नहीं है। जबकि परियोजना खण्ड I पाली से संबंधित प्रकरण में निलम्बित किया गया है। प्रस्तुत अपीलों के अनुसार अपीलार्थीगण का परियोजना खंड पाली I में पदस्थापन अवधि निम्नानुसार है:–

क.म.	नाम	पदस्थापन अवधि प्रोजेक्ट डिविजन पाली I
1.	महेन्द्र कुमार वर्मा	17.01.2023–08.10.2023
2.	रामजीलाल मीणा	28.11.2022–10.01.2023
3.	प्रतिभा कटारिया	13.07.2022–जनवरी 2025
4.	महेन्द्र कुमार	20.06.2022–26.11.2022

इस कारण अपीलार्थीगण किसी भी तरह से जांच प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। अपीलार्थीगण की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नरेश सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया है कि इस न्यायनिर्णय में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा निलंबन के संबंध में विस्तार से दिशानिर्देश जारी किए है और आलौच्य निलंबन आदेश उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्वांतों के अनुरूप नहीं है। उनका यह भी कथन है कि निलम्बन आदेश बिना सुने जारी किया गया है। जांच कमेटी ने अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच नहीं की है। प्रोजेक्ट डिविजन पाली I में पदस्थापन के 2 वर्ष पश्चात निलम्बन आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि निलंबन आदेश जारी किए हुए 3 माह से अधिक हो गए है परंतु अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र जारी नहीं गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय सिंह के प्रकरण में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि निलंबन आदेश के 90 दिन भीतर यदि आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता है। उस दशा में निलंबन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा और यदि आरोप पत्र दे दिया जाता है तो उस दशा में निलंबन आदेश को एक स्पष्ट आदेश द्वारा विस्तारित किया जाना आवश्यक होगा। अतः निलंबन आदेश को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार किए जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ सभी अपीलों का जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि आलौच्य निलंबन आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने के आधार पर उक्त नियम 1958 के नियम 13 के अतंर्गत सक्षम स्तर से जारी किया गया है। सभी लोक सेवकों को एक ही प्रकरण में संलिप्त होने होने के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एकल आदेश द्वारा निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार निलंबन आदेश सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। उनका यह भी कथन है कि सभी अपीलार्थीगण को सीसीए 1958 के नियम 16 के अतंर्गत 2 जुलाई 2025 को आरोप पत्र जारी किए चुके है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध जल जीवन मिशन के तहत अनुचित रूप से कार्य के सत्यापन एवं भुगतान किया जाने का आरोप है। उनका यह भी

कथन है कि वृत स्तरीय प्रारंभिक जांच में एवं मुख्यालय स्तरीय मुख्य अभियंता क्षेत्र पाली के अधीन की गई जांच में भारी वित्तिय अनियमितता होने पर निलंबित किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 27.03.2025 द्वारा अपीलाथीगण के सहित कुल 6 लोक सेवकों को एकल आदेश से निलंबित किया है। निलंबन आदेश में यह स्पष्ट है कि इसके विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। जिसके आधार पर सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के तहत उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा निलंबित किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि चारो अपीलार्थीगण राज्य सेवा के कार्मिक है एवं कार्मिक विभाग द्वारा आलौच्य निलंबन आदेश जारी किया गया है।

प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय हैः–

1. क्या आलौच्य निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुरूप है?
2. क्या एकल निलंबन आदेश नियमानुसार है या प्रत्येक लोक सेवक के संबंध में पृथक–पृथक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है?

1. क्या आलौच्य निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुरूप है?

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"नियम 13. निलम्बन– [1] नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है, या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा–

(क) जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित है; या

(ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में, अन्वेषण या विचार हो रहा होः

परन्तु जहां निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के स्तर के प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट, जिनमें ऐसी आज्ञा दी गई थी, तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।"

उक्त विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी सरकारी कर्मचारी कोः–

1. नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त अन्य कोई भी प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है।
2. निलंबन उन दशा में किया जायेगा जब उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है, या
3. कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या
4. जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध फोजदारी प्रकरण के संबंध में अन्वेषण या विचार हो रहा है।

इन अपीलों में जारी निलंबन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें अपीलार्थीगण के विरूद्ध नियम 16 सीसीए नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के आधार पर निलंबित किया है। समस्त अपीलार्थीगण राज्य सेवा के कर्मचारी है और निलंबन आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। निलम्बन आदेश से स्पष्ट है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियाजना खण्ड प्रथम पाली के अधीन प्रगतिरत कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित जांच समिति की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमिततओं के संबंध में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सीसीए नियम 1958 के नियम 16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः आलौच निलंबन आदेश दिनांक 27.03.2025 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने के आधार पर सक्षम स्तर से जारी किया गया है। अतः निलंबन आदेश सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के अनुरूप जारी किया गया है। इसमें कोई अनियमितता या विधि विरूद्धता नहीं है।

2. क्या एकल निलंबन आदेश नियुमानुसार है या प्रत्येक लोक सेवक के संबंध में पृथक–पृथक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है?

सीसीए नियम 1958 में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि एकल निलंबन आदेश से एक से अधिक लोक सेवकों को निलंबित किया जा सकता है अथवा नहीं। अर्थात एकल आदेश द्वारा एक से अधिक लोक सेवकों को निलंबित किया जाने के संबंध में कोई विधिक बाधा नहीं है। चूंकि अपीलार्थीगण के संबंध में एक ही प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः एकल निलंबन आदेश द्वारा इन्हें निलंबित किए जाने के संबंध में निलंबित आदेश नियमानुसार है।

अपीलार्थीगण का यह कथन है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही परियोजना खण्ड–I जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पाली कार्यों से संबंधित है और अपीलार्थीगण वर्तमान में अन्यत्र पदस्थापित है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जांच प्रभावित किया जाना संभव नहीं है। अतः निलंबित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है और इस आधार पर निलंबित आदेश अपास्त करने का कथन किया है।

निलंबन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि परियोजना खण्ड–I जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पाली के प्रगतिरत कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं के आधार पर सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत जांच प्रस्तावित होने के आधार पर अपीलार्थीगण को सीसीए नियम 13 के तहत आलौच्य आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थीगण वर्तमान में अन्यत्र पदस्थापित होने के आधार पर उन्हें निलंबित किए जाने का निर्णय प्रकरण की तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में आया है कि परियोजना खण्ड प्रथम पाली में जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं एवं अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण है। अतः इस प्रकरण में अपीलार्थीगण के वर्तमान में अन्यत्र पदस्थापन होने के आधार पर निलंबित नहीं किए जाने का तर्क मानने योग्य नहीं है। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को प्रकरण में सीसीए नियम 16 के आरोप पत्र जारी किए जा चुके है और उनके विरूद्ध संयुक्त विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। अतः आलौच्य निलंबन आदेश में दखल करने का कोई विधिक आधार उपलबध नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील में मय प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2389/2025 महेन्द्र कुमार वर्मा बनाम शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष